



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-215

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 275865 दिनांक 05/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Avi Singhvi S/o SAMPRATI SINGHVI	डॉ. योगेश कुमार भार्गव पुत्र श्री सीताराम भार्गव	463	301.38 SQ. YARD	Private	ORIENTAL ARCADE Sector/Block-	Sub Division and Reconstit ution	निजी खातेदारी की योजना ओरियन्टल आर्केड के भूखण्ड संख्या 463 क्षेत्रफल 301.38 वर्ग गज की लीजडीड डॉ. योगेश कुमार भार्गव पुत्र श्री सीताराम भार्गव के नाम से दिनांक 23.12.02 को जारी की गयी है। तत्पश्चात योगेश कुमार भार्गव द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2021 के द्वारा श्री कुमार गौरव गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री कुमार गौरव गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड में से दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 150.69



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								वर्ग गज का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2025 के द्वारा श्री अवि सिंघवी पुत्र श्री सम्प्रति सिंघवी को कर दिया गया। आवेदक श्री अवि सिंघवी द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं उपविभाजन हेतु आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Avi Singhvi S/o SAMPRATI SINGHVI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |